हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

पंचम सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 36

मंगलवार, 5 फरवरी, 2019/16 माघ, 1940(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 837 का उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1103 से 1107 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1108 से 1144 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 119 (स्थगित) तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 269 से 287 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 37वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

<u>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

श्री विपिन सिंह परमार, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रदेश में फैल रहे स्वाइन फ्लू के बारे में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों तथा जारी की गई एडवाइजरी को लेकर वक्तव्य दिया।

3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2018-2019 पर सामान्य चर्चा, मतदान एवं पारण

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त आर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुईं।

5. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

माननीय मुख्य मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक-1) पुरःस्थापित किया।

(II) <u>**सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण**</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक-1) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक-1) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक-1) पारित हुआ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

कर्नल इन्द्र सिंह ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएः-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदय का, दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

12.40 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

श्री बलबीर सिंह ने प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया एवं चर्चा की।

1.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.10 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

भोजनावकाश के उपरान्त 2.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

निम्नलिखित ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लियाः-

1. **श्री मुकेश अग्निहोत्री**, नेता प्रतिपक्ष

माननीय मुख्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए कुछेक बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिया।

2. **श्री राकेश पठानिया**

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपनी चर्चा के दौरान उठाए गए 'लोक भवन निर्माण' विषय पर स्पष्टीकरण दिया।

3. **श्री राम लाल ठाकुर**

03.40 अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

माननीय वन मंत्री ने **श्री राम लाल ठाकुर** द्वारा चर्चा में उठाए गए विषयों पर स्पष्टीकरण दिया।

4. **श्री विनोद कुमार**

श्रीमती आशा कुमारी सदस्य ने **श्री विनोद कुमार** द्वारा प्रदेश में पिछली सरकार के समय खुले मेडिकल कॉलेजों के बारे में की गई टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया।

5. **श्री बिक्रम सिंह जरयाल**
6. **श्री राकेश सिंघा**

04.55 बजे माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री के प्रस्ताव पर सदन की बठैक 5.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।

7. **श्री सुभाष ठाकुर**
8. **श्री विक्रमादित्य सिंह**

सदन की बैठक को पुनः 05.35 बजे अपराह्न तब बढ़ाया गया।

05.35 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार 6 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।